राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : 20(5)(1)त.शि. / 04 पार्ट — जयपुर, दिनांक, 09 अक्टूबर, 2019

प्राचार्य,
अभियांत्रिकी महाविद्यालय
अजमेर।

विषय :- Approval of Minutes of Board of Governors meeting dated 13-9-2019.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आपके महाविद्यालय की बीओजी की बैठक दिनांक 13.9.2019 में लिये गये निर्णयों के क्रम में प्रस्तुत कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही है। अतः बैठक में लिये गये निर्णयों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. स्टेट प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर एसपीआईयू टेक्यूप—III जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, त.शि

अभियांत्रिकी महाविद्यालय, समिति, अजमेर

15वीं शासी परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त

अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति, अजमेर के शासी परिषद् की 15वीं बैठक दिनांक 13.09.2019 को तकनीकी शिक्षा भवन, झालाना, जयपुर के सभागार में दोपहर 1.00 बजे माननीय डा. सुभाष गर्ग, तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, शासी परिषद् अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति, अजमेर की अध्यक्षता में आहूत हुई। उक्त बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे:–

1. श्री वैभव गालरिया, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सदस्य
2. प्रो. आर. पी. दहिया, पूर्व निदेशक, एम.एन.आई.टी. जयपुर, चैयरमेन
3. श्री डी. के. जैन, प्रतिनिधि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, सदस्य
4. श्री पुरूषोतम सांखला, डायरेक्टर, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर, सदस्य
5. प्रो. एस. के. बंसल, डीन, एफ.ओ.ई.ए., बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर, सदस्य
6. डॉ. विमल चन्द जैन, सह–आचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर, सदस्य
7. डॉ. उमाशंकर मोदानी, प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर एवं सदस्य सचिव

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न आमंत्रित सदस्य भी उपस्थित रहे :

8. श्री अनिल कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
9. प्रो. यू. ए. दबाडे, स्टेट प्रोजेक्ट एडवाईजर, TEQIP-III, जयपुर
10. डॉ. सुन्दीप कुमार, निदेशक, सी.ई.जी., जयपुर
11. डॉ. अंकुर पारीक, नोडल अधिकारी, टेक्यूब तृतीय, जयपुर
12. प्रो. एन. सी. शिव प्रकाश, मैन्टर, TEQIP, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर
13. डॉ. एच. एस. मेवाड़ा, TEQIP Coord., अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर
14. श्री मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
15. डॉ. जितेन्द्र कुमार डीगवाल, प्राचार्य, महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर
16. डॉ. शिव लाल, प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बाँसवाडा

सदस्य सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय एवं समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत करने के पश्चात, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से शासी परिषद् सभा की कार्यवाही आरम्भ की गई।

प्रस्ताव एवं कार्यवृत

प्रस्ताव सं. 15.01 : **14वीं शासी परिषद् के कार्यवाही विवरण (मिनट्स) की पुष्टि व क्रियान्विति अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

निर्णय : – अनुमोदित।

प्रस्ताव सं. 15.02 : 12वीं, 13वीं एवं 14वीं शासी परिषद् के कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) की पुष्टि व क्रियान्विति अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : – अनुमोदित।

प्रस्ताव सं. 15.03 : महाविद्यालय द्वारा 'राजकीय' शब्द का उपयोग नहीं करने के तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश क्रियान्विति आदेशार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : – आदेश की क्रियान्विति किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव सं. 15.04 : तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्राचार्य पद पर नियुक्ति के दिशा निर्देश अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : – अनुमोदित।

प्रस्ताव सं. 15.05 : नियमित एवं NPIU फैकल्टी के लम्बे अवकाश (पी.एच.डी. हेतु अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश आदि) की स्थिति में पाठ्यक्रम पूर्ण करवाने हेतु प्रति लेक्चर मानदेय आधार पर विषय विशेषज्ञ को आमंत्रित करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : – तकनीकी शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजें।

उक्त विषय विशेषज्ञ को 500.00 रू प्रति कालांश अथवा अधिकतम 25000.00 रू प्रति माह निर्धारित किए गए ।

प्रस्ताव सं. 15.06 : टेक्यूप–II के अन्तर्गत अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर एवं महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर को प्राप्त राशि में से अवशेष राशि जो टेक्यूप–II के एस0बी0आई0 खाते में जमा राशि के उपयोग हेतु निर्देशार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत।

निर्णय : – अनुमोदित।

Procurement Plan में किसी पैकेज में प्रति आईटम दर अनुमानित दर से अधिक आने पर संख्या (Quantity) कम की जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर से सम्बंधित TEQIP-III के विशिष्ट प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 15.07: **TEQIP-III** परियोजना के अन्तर्गत संशोधित प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : – अनुमोदित।

अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर के विशिष्ट प्रस्ताव

प्रस्ताव सं. 15.08 : महाविद्यालय में अकादमिक वर्ष 2018–19 से विद्यार्थियों के प्रोत्साहन हेतु प्राचार्य पदक दिये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : – अनुमोदित।

प्रस्ताव सं. 15.09 : महाविद्यालय में संचालित विभिन्न विभागों में राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क के तहत **(NSQF)** का पाठ्यक्रम **D.Voc., B.Voc.** तथा **M.Voc.** प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : – अनुमोदित।

अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति द्वारा संचालित सभी महाविद्यालयों हेतु अनुमोदित।

प्रस्ताव सं. 15.10 : महाविद्यालय के मुख्य ब्लॉक (तीर्थराज पुष्कर भवन) में कुछ कक्षों को मिलाकर सेमीनार एवं कान्फ्रेन्स रूम बनाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : – अनुमोदित।

प्रस्ताव सं. 15.11 : महाविद्यालय में विभिन्न विकास कार्यों एवं सामान्य संचालन में समाज के विभिन्न वर्गों एवं भामाशाहों से सहयोग प्राप्त हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : – अनुमोदित।

प्रस्ताव सं. 15.12 : माननीय मुख्यमंत्री की वर्ष 2012–13 के लिए बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 140 की क्रियान्विति हेतु आंवटित किये गये बजट के उपयोग हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : – अनुमोदित। इसमें कार्यवाही ''लैंग्वेज लैब'' से भी पावे।

महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के TEQIP-III से संबंधित विशिष्ट प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 15.13: **टेक्यूप–II के चार कोषों के व्यय हेतु कार्य योजना 10वीं शासी परिषद् की प्रस्ताव संख्या 10 से स्टॉफ विकास व मरम्मत में व्यय हेतु अनुमोदित है। जिसका उपयोग राज्य सरकार के आधारभूत सहायतार्थ प्रायोजनार्थ प्राप्त अनुदान राशि के साथ व्यय की अनुमति हेतु पुनः विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

निर्णर्य : – अनुमोदित।

किसी पैकेज में प्रति आईटम दर अनुमानित दर से अधिक आने पर संख्या कम की जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के विशिष्ट प्रस्ताव

प्रस्ताव सं. 15.14 : **तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार अन्य अभियांत्रिकी महाविद्यालय यथा भरतपुर एंव बीकानेर के समान सहायक कुलसचिव के संशोधित ग्रेड पे एम.एच.आर.डी के परिपत्र दिनांक 02 नवम्बर 2017 को लागू किया जाना विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

निर्णय : – Deferred

अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाडा के विशिष्ट प्रस्ताव

प्रस्ताव सं. 15.15 : **NPTEL के विषयों के EXAM हेतु पंजीयन शुल्क, यात्रा/दैनिक भत्ता आदि के लिए व्यय पर विचार कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।**

निर्णय : – अनुमोदित।

प्रस्ताव सं. 15.16 : **टेक्यूप–3 परियोजना अन्तर्गत माइनर सिविल वर्क पर विचार कर अनुमोदन हेतु प्रेषित।**

निर्णय : – अनुमोदित।

प्रस्ताव सं. 15.17: **राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बांसवाड़ा में ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत सुरक्षा कर्मियों का वेतन 8000/–प्रतिमाह किये जाने पर विचार कर अनुमोदन हेतु प्रेषित।**

निर्णय : – अनुमोदित।

प्रस्ताव सं. 15.18 : **अन्य प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।**

निर्णय : – अन्य कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय और सभी माननीय सदस्यों को सदस्य सचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ सभा समाप्त हुई ।

अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की तकनीकी शिक्षा भवन जयपुर में आयोजित बैठक दिनांक 13.9.2019 के कॉमन एजेंडा बिंदुओं पर निर्देश

1 अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में किसी भी कार्मिक के सेवानिवृत होने पर सामान्यतः सेवानिवृत कार्मिक को संविदा पर न रखा जावे। यदि इससे स्वीकृत पद रिक्त होता है तो नियमानुसार इसकी भर्ती की जावे।

2 सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत डीवॉक, बीवॉक व एमवॉक पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषी आधार पर संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्राचार्यों को अधिकृत किया गया है।

3 विश्वविद्यालयों से संबद्धता एवं संबंधित मामले बैठकों में आने के कारण अगली बीओजी बैठकों में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा एवं बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के वाईस चांसलर को भी आमंत्रित किया जावेगा।

4 अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में सीसीटीवी प्रणाली चालू की जावे। जिसके लिंक दोनों संयुक्त सचिवों के मोबाईल पर दिया जावे।

5 टेक्यूप–3 के अंतर्गत समस्त प्रोक्यूरमेंट राज्य स्तरीय समिति से vet कराया जावे।

6 जो अभियांत्रिकी महाविद्यालय टेक्यूप–3 में खर्चें में पिछड रही है। उन्हें चिन्हित कर तकनीकी शिक्षा विभाग से प्राचार्यों को कारण बताओं नोटिस जारी किये जावे।

7 अभियांत्रिकी महाविद्यालयों का समय प्रातः 9:00 से सायं 04:00 बजे तक रखा जावे। अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर के प्रस्तावानुसार यह समय प्रातः 08:00 से सायं 04:00 बजे तक रखा जा सकता है।

8 अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के शिक्षकों के एजीपी 6000–7000 के प्रकरणों पर एक माह में कार्यवाही की जावे।

9 अभियांत्रिकी महाविद्यालयो के कक्षा–कक्षों में फिक्स फर्नीचर लगाया जावे एवं स्टोर के रूप में अनुपयुक्त कक्षों के सामान को नियमानुसार राईट ऑफ करके कक्षों को उपयोग मे लिया जावे।

10 प्राचार्य, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाडा द्वारा अवगत करवाया गया है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रवेश के समय शुल्क जमा करवाना होता है जो कुछ समय बाद जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा भुगतान किया जाता है। प्रवेश राशि जमा कराने हेतु इस शुल्क के कारण कई विद्यार्थी इजि. कॉजेलों में प्रवेश न लेकर बी.एस.सी कोर्स में प्रवेश ले लेते है। इस पर माननीय मंत्री महोदय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि इन टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाडा में प्रवेश के समय निःशुल्क प्रवेश दे दिया जावे एवं इसके उपरांत जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से इस शुल्क के पेटे राशि को सीधे ही राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाडा को भुगतान करवा दिया जावें इस हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के मध्य बैठक शीघ्र ही आयोजित की जावे।

11 तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर एवं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर को प्रोफेशनल संस्थान के रूप में विकसित किया जावेगा। इसके लिए संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट पंजाब के अध्ययन के लिए एक टीम को भेजा जावेगा।

12 11 अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में वर्क लोड की गणना एवं तदनुसार स्टॉफ की व्यवस्था के लिए एक समिति का गठन किया जावेगा।